5/11/19 आज यह पत्रावली [illegible] से स्थानांतरित होकर प्राप्त हुई। वकील अपी. [illegible] रजिस्ट्रार [illegible] दर्ज रजि. है। P.O. राहत न. प. गुणवत्ता ऑप में पत्रावली है, लिस्ट 20/12/19 को पेश है।

20/12/19 वकील अपी. उप. आर्य स्थगित है। P.O. राहत मिटिंग में पत्रावली है लिस्ट 11/2/20 को पेश है।

11/2/20 वकील अपी. उप. नहीं। रैस्पा. वकील उप. P.O. राहत डिगत आर्य में पत्रावली है, लिस्ट 17/2/20 को पेश है।

17/2/20 पत्रावली पेश हुई। कोई उप. नहीं, रैस्पा. उप. पत्रावली रिनाउ 25/2/20 को पेश है।

25/2/20 पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट व अपीलान्ट कोई उप. नहीं। रैस्पा. के वकील उप. अपीलान्ट व इनके अधिवक्ता को कई बार आवाज लगाई गई। कोई उप. नहीं आये। अन्तिम आवाज तीन बजे के बाद कोई उप. नहीं। अतः अपील अपीलान्ट अदम पैरवी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली 10 बजे तक लेकर दाखिल दफ्तर हो।

जिला कलक्टर

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर प्रकरण संख्या 12/161/2019
उपखण्ड समिति कोटकासिम बनाम सविता शर्मा वगैरह